## ECONOMIC TIMES - DATED JUNE 26, 2019



### CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208 Tel No. 0744-2782915; Fax No. 07455-274130

Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025 Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679

Email: isc@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com: (CIN: L24124RJ1985PLC003293)

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

#### TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

In pursuance of IEPF Rules, the Company has sent necessary intimation to the concerned shareholders who have not claimed / encashed dividend for the Financial Year 2011-12 and all subsequent dividends declared by the Company and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority. The details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com under the section "Investors & Policies". The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed dividend for the financial year 2011-12 onwards by making an application to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Finsery Limited, "Corporate One", 1st Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi – 110025. The format of the application for making a claim for unclaimed dividend is available on the website of the Company mentioned above. In case a valid claim for the unclaimed dividend is not received by M/s. Zuari Finsery Limited on or before October 11, 2019, the Company shall transfer the concerned shares to IEPF Authority in accordance with the procedure prescribed under IEPF Rules. The original share certificates in respect of such shares which are held in physical form by the concerned shareholders, shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF Authority including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed

In case the shareholders have any queries in this regard, they may contact the Investor Service Centre of the Company at "Corporate One", 1st Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025. (Tel: 011-46581300, 41697900, email: isc@chambal.in).

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Sd/-

Rajveer Singh

Vice President - Legal & Secretary

Place: New Delhi

Date

June 25, 2019

# चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गढेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन — 325 208

टेलीफोन नं.: 0744-2782915; फैक्स नं.: 07455-274130

टेलीफोन नं.: प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली — 110 025

कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली — 110 025

टेलीफोन नं: +91-11-46581300, 41697900; फैक्स नं. +91-11-40638679

टेलीफोन नं: क्श-11-46581300, 41697900; फैक्स नं. +24124RJ1985PLC003293)

इं-पेल: isc@chambal.in; वेबसाइट: www.chambalfertilisers.com; (सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293)

अंशघारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष में हस्तांतरण

एतद् द्वारा स्थित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं एतद् द्वारा स्थित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं रांशी संस्था कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (आईइपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे राणी संस्था कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (आईइपीएफ प्राधिकरण) के डी-मेंट खाते में इस्तांतरित किया जाना वाधित है।

कार्ष माम्रिकरण (आइइमाएफ आम्रिकरण) के दान ति अंशामाएकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी आईइपीएफ नियम के अनुसरण में कंपनी ने उन सभी अंशामाएकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी लामांश बेदाया/अदत है तथा जिनके अंश आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतिरित किये जाने हैं आवश्यक सूचना भेज दी है। ऐसे अंशामारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.chsmballertillsers.com पर "Investors & Policies" अनुमाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशामारक आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतिरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जींच कर सकते हैं।

अर्थारक आइहपाएक प्रााधकरण का वस्तातार निर्माण के शेयर सम्बन्धित अश्वापकों से अनुरोध है कि विशीय वर्ष 2011-12 एवं उसके उपरान्त के अपने बेदावा लामांश हेतु अपना आवेदन कम्पानी के शेयर सम्बन्धित अश्वापकों से अनुरोध है कि विशीय वर्ष 2011-12 एवं उसके उपरान्त के अपने बेदावा लामांश है। वर्ष वेदावा लामांश का वैद्या वर्ष वर्ष के वर्ष है। यदि बेदावा लामांश का वैद्या वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष के अर्थ है। यदि बेदावा लामांश का वैद्या वर्ष वर्ष वर्ष के अन्तर्गत बेससे कुआरी पिनसर्व लिमिटेड को 11 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पानी सम्बन्धित अशों को आईडपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईडपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। अंश्वापक, जिनके ये सम्बद्धित अश फिजिकल फार्म में हैं उनके मूस अंश प्रमाण पत्र स्वयंमेद रह हो जायेंगे तथा गैर परक्राम्य मान लिए जायेंगे।

अश्रवास्क कृपया ध्यान दे कि आईइपीएफ प्राधिकरण को हंस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लागे सहित, यदि कोई हो, आईइपीएफ प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली — 110025 (टेलीफोन ने: +91-11-46581300, 41697900, ई-मेल: Iso@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फटीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता / -राजवीर सिंह वाईस प्रेसिडेंट- लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक 25 जून 2019

ď

Ō

## 21 जरशान जालाका - कारा - रिनाक जून 26, 2019

## चम्बल फर्टोलाइनसं एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गढेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन — 325 208 टेलीफोन नं.: 0744—2782915; फैक्स नं.: 07455—274130

कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5. व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली — 110 025 टेलीफोन नं: +91—11—46581300, 41697900; फैक्स नं. +91—11—40638679

ई—मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com; (सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293)

## गंशधारकों हेत् सूचना

## समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष में हस्तातरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित चिनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 ("आईइपीएफ नियम"), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लागांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से अदत्त अथवा बेदावा रहे हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण ('आईइपीएफ प्राधिकरण') के डीं—मैट खाते में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईइपीएफ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2011—12 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी लाभांश बेदावा/अदत्त है तथा जिनके अंश आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है। ऐसे अंशधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड़ कर दिया गया है। अंशधारक आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जींच कर सकते हैं।

सम्बन्धित अंश्रधारकों से अनुरोध है कि बितीय वर्ष 2011—12 एवं उसके उपरान्त के अपने बेदावा लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट — मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड, "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली—110 025 को भेजें। बेदावा लामांश का दावा पेश करने हेतु आवेदन का प्रारुप कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि बेदावा लामांश का वैध दावा मेसर्स जुआरी फिनसर्व लिमिटेड को 11 अक्टूबर, 2019 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईइपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। अंशधारक, जिनके ये सम्बद्धित अंश फिजिकल फार्म में हैं, उनकें मूल अंश प्रमाण पत्र स्वयंमेव रह हो जायेंगें तथा गैर परक्राम्य मान लिए जायेंगें।

अंशंधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईइपीएफ प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "काँपीरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, ब्यवसायिक केन्द्र, जसीला, नई दिल्ली — 110025 (टेलीफोन नं: +91--11-46581300, 41697900, ई-मेल: isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

हरता/-

राजवीर सिंह

वाईस प्रेंसिइंट- लीगल एवं सचिव

रथान : नई दिल्ली दिनांक: 25 जून, 2019